रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 1995/कार्तिक 5, 1917
No. 605] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 1995/KARTIKA 5, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1995

सं. 65/95-एन.टी.—सीमाशुल्क

का.आ. 861(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उपधारा (2) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 69/95-एन.टी.-सीमाशुल्क, का.आ. 811(अ) तारीख 27 सितम्बर, 1995 को अधिक्रांत करते हुए :—

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन स्टाम्प शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए विहित करती है,

(ख) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए जहां तक उनका संबंध आयातित माल से है, यह अवधारित करती है कि नीचे अनुसूची (I) और अनुसूची (II) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी के भारतीय करेंसी में या भारतीय करेंसी के विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनिमय दर 1 नवम्बर, 1995 से वह दर होगी जो उसके स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उसके सामने वर्णित है :—

अनुसूची–I

क्रम सं.	विदेशी करेंसी	भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी करेंसी की एक इकाई की विनिमय दर
1.	अस्ट्रिया के शिलिंग	3.66
2.	आस्ट्रेलिया के डालर	26.97
3.	कनाडा के डालर	26.19
4.	डेनमार्क के क्रोनर	6.61
5.	डुएसे मार्क	25.66
6.	डच गिल्डर	22.91
7.	फ्रांस के फ्रैंक	7.30
8.	हांगकांग के डालर	4.62
9.	मलेशिया के डालर	14.10
10.	नार्वे के क्रोनर	5.79
11.	पौंड स्टर्लिंग	56.37
12.	स्वीडन के क्रोनर	5.40
13.	स्विटजरलैंड के फ्रैंक	31.51
14.	संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर	35.70
15.	सिंगापुर के डालर	25.23

अनुसूची–II

क्रम सं.	विदेशी करेंसी	भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाईयों की विनिमय दर
1.	बेल्जियम के फ्रैंक	124.96
2.	इतालवी लीरा	2.22
3.	जापानी येन	35.24

[फा. सं. 468/10/95-सीमाशुल्क-5]
अनिल एस. बेदी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 1995

No. 65/95—NT-CUSTOMS

S.O. 861(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 59/95–NT–Customs S.O. 811(E) dated the 27th September, 1995, the Central Government hereby:–

(a) prescribes for the purpose of calculating stamp duty under the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899),

(b) determines for the purposes of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) insofar as these relate to imported goods,

that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of Schedule I and Schedule II appended hereto into Indian currency or vice-versa shall, with effect from the 1st day of November, 1995 be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof.

SCHEDULE I

Sl. No.	Foreign currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees
1.	Austrian Schilling	3.66
2.	Australian Dollar	26.97
3.	Canadian Dollar	26.19
4.	Danish Kroner	6.61
5.	Deutsche Mark	25.66
6.	Dutch Guilder	22.91
7.	French Franc	7.30
8.	Hong Kong Dollar	4.62
9.	Malaysian Dollar	14.10
10.	Norwegian Kroner	5.79
11.	Pound Sterling	56.37
12.	Swedish Kroner	5.40
13.	Swiss Franc	31.51
14.	U.S. Dollar	35.70
15.	Singapore Dollar	25.23

SCHEDULE II

Sl. No.	Foreign currency	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees
1.	Belgian Francs	124.96
2.	Italian Lire	2.22
3.	Japanese Yen	35.24

[F.No. 468/10/95-Cus. V]
ANIL S. BEDI Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995